

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारिीन अधिकाशी का नाग : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०ए०))

वाद सं० : ०२ सन २०१९

अनवान :-

१. विक्रमसिह पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
२. अजीतसिह पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
३. सतपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाग

१. मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
२. सोहनलाल पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
३. रवना पुत्री सोहनलाल पत्नि संदीप जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
४. ममता पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
५. लाजवन्ती पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
६. इन्द्राज पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
७. कविता पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
८. कलावती पुत्री मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
९. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ की धारा ८८

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवारासा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- १६/३/२०२०

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ की धारा ८८ के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या १९८/२०० की कुल ५६०२०हेक् व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या १६६/१७२ की कुल ३६६७०हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या १ के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या १ के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या १ जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या २ ता ८ का प्रतिवादी संख्या १ के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या २ ता ८ वादी की बहने/माता/पिता है एवं प्रतिवादी संख्या १ की पुत्री/पुत्री है प्रतिवादी संख्या २, ता ८ ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या १ के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या १ का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या १ को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाने की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिय के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसाके नाम से दर्ज भूमि उसाके पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 जो वादी की बहन/पिता/बुआ है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तानकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 198/200 की कुल 5.6020 हैक् व रोही मौजा डुमारसर खाता संख्या 166/172 की कुल 3.6670 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 वादी की बहने/माता/पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 198/200 की कुल 5.6020 हैक् व रोही मौजा

बोहर (हनुमानगढ़)

रोही मौजा डुमासर खाता संख्या 166/172 की कुल 3.6670 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि चेताराम पुत्र कुशला के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा चेताराम पुत्र कुशला के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 8 जो वादी की बहने/बहने/बुआ/पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 198/200 की कुल 5.6020 हैव तथा रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 166/172 की कुल 3.6670 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , वादीगण संख्या 2 ,3 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक /6/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))
नाहर (हनुमानगढ))

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विक्रमसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अजीतसिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सतपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. मनफुल उर्फ फूलाराम पुत्र चेताराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सोहनलाल पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. रचना पुत्री सोहनलाल पत्नि संदीप जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
4. ममता पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
5. लाजवन्ती पुत्री सोहनलाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
6. इन्द्राज पुत्र मनफुल उर्फ फूलाराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
7. कविता पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री मनफुल उर्फ फूलाराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 02 सन 2019 निर्णय दिनांक- 16/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 198/200 की कुल 5.6020हैक् तथा रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 166/172 की कुल 3.6670हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , वादीगण संख्या 2 ,3 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)